

बिना फिटनेस और टैक्स के अब सड़कों से गुजरना पड़ेगा मंहगा

» परिवहन विभाग द्वारा
ऑटोमैटिक ई-चालान
की व्यवस्था

» राज्य के विभिन्न मार्ग में
तैयार हुआ एनपीआर
सिस्टम जल्द होगा शुरारंभ

» बिना दस्तावेजों के गाड़ी
चलाते पकड़ गए तो होगी
सख्त कार्रवाई

रायपुर, 30 जून 2023 (ए)।
छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना
पिसेस, टैक्स और बिना दस्तावेज
के चलाने वाले हैं तो सख्त
करने की तैयारी में है। प्रदेश के
विभिन्न मार्ग में अब एनपीआर ई-
ट्रिक्सेशन सिस्टम शुरू करने की
तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिससे कि

बिना पिसेस और बिना टैक्स वाले
वाहनों के सड़कों से गुजरने पर
अटोमैटिक चालान होगा। अब
इसका उद्घाटन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंथा
अनुरूप तथा परिवहन विभाग की
में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का
सुचारू रूप से किया जायेगा हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में होने
वाले खुल्म के आँकड़ा कम करने के
लिए प्रदेश में परिवहन विभाग की
पहल पर विभिन्न मार्ग में एनपीआर
कैमरा लगाये जा रहे हैं, जो बिना
पिसेस और टैक्स के चलाने वाले

बालों को ट्रिक्स कर ऑटोमैटिक
चालानी कार्यवाही करेगा।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी
के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न
मार्ग पर चलने वाले ऐसे वाहनों
का पता लाने के लिए पहले
चरण में 09 जगहों पर एनपीआर कैमरा
लगाया है जो परिवहन विभाग के वाहन
सॉफ्टवेर और इंट्रिक्सेशन
सिस्टम से जुड़ा होता है।

प्रथम चरण में इन स्थानों

में शुरू किया

गया है एनपीआर

ई ट्रिक्सेशन सिस्टम

महासुंदर बसाना पदमपुर रोड,
सराईबाजारी सारंगढ़ रोड, जयराम
नगर मस्तूरी रोड, रायगढ़ अभनपुर
भरेगामाटा, पथ्यल गांव ऑटोकापुर

रोड, डोंगराड राजनांदगांव रोड,
रायगढ़ तेंदुवापाटा, रायगढ़ सरिया,
नगरी रोड। इसके बाद खनन और
गाड़ियों का रिकॉर्ड भी प्रैनपीआर
सिस्टम के माध्यम से परिवहन
विभाग को प्राप्त होने लगेगा।

बालों को डिक्टेक कर ऑटोमैटिक
चालानी कार्यवाही करेगा। परिवहन विभाग से मिली जानकारी
के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न
मार्ग पर चलने वाले ऐसे वाहनों
का पता लाने के लिए पहले
चरण में 09 जगहों पर एनपीआर कैमरा
लगाया है जो परिवहन विभाग के वाहन
सॉफ्टवेर और इंट्रिक्सेशन
सिस्टम से जुड़ा होता है।

गाड़ियों का रिकॉर्ड भी प्रैनपीआर

सिस्टम के माध्यम से परिवहन
विभाग को प्राप्त होने लगेगा।

गाड़ियों का रिकॉर्ड भी प्रैनपीआर

महासुंदर बसाना पदमपुर रोड,
सराईबाजारी सारंगढ़ रोड, जयराम
नगर मस्तूरी रोड, रायगढ़ अभनपुर
भरेगामाटा, पथ्यल गांव ऑटोकापुर

औद्योगिक क्षेत्रों से भी प्रैनपीआर

कैमरे के मदद से डेटा एकत्र करने

की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और

जरद द्वारा इन जगहों से गुजरने वाली

जानकारी के मोबाइल में भेज दिया

जायेगा और जब चालान का भुगतान नहीं होता तब दिया जायेगा तब

तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में

समिति (एस्सीसीआरएस) की

सिपारिश के बाद सरकार ने ई

दस्तावेज के संचित संज्ञय मित्तल

को नुच्छे जितों का दिया जायेगा तब

तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में

प्रतिवाधित रहेंगे।

परिवहन सचिव एस प्रकाश द्वारा

उपर्युक्त सम्बन्धित कार्यालय के लिए

जिसमें बिना दस्तावेज से पहले

गाड़ी के समूचे आवश्यक दस्तावेज को

प्राप्त करने के लिए बिना दस्तावेज

को अप-टू-ड्रेट करा लो। सभी

बिना दस्तावेज के लिए बिना दस्तावेज

को अप-टू-ड्रेट करा लो। बिना दस्तावेज